



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, मई 6—मई 12, 2012, शनिवार/वैशाख 16—वैशाख 22, 1934
No. 19] NEW DELHI, MAY 6—MAY 12, 2012, SATURDAY/VAISAKHA 16—VAISAKHA 22, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

सा.का.नि. 104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अन्वेषक (भाषा), भर्ती नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अन्वेषक (भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अन्वेषक (भाषा), भर्ती नियम, 2012 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, पे बैण्ड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्वेषक (भाषा)	*12 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-2, रु. 9300—34800 (ग्रेड पे 4200 रुपए)	लागू नहीं	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय। आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।	लागू नहीं	दो वर्ष
(ii) भाषा विज्ञान में अनुसंधान कार्य अथवा भाषा अथवा बोली अथवा मातृभाषा संबंधी अन्वेषण और रिपोर्ट तैयार करने सहित जनगणना के भाषा संबंधी आंकड़ों की जांच और संकलन में दो वर्ष का अनुभव।		

(7)

टिप्पणी 1 : अन्यथा सुपात्र उम्मीदवार के मामले में कारणों को दर्ज करते हुए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधीन अर्हता(ओं) में छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी 2 : यदि चयन के दौरान किसी अवस्था में कर्मचारी चयन आयोग को यह लगता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधीन अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हता(ओं) में छूट दी जा सकती है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश पर होने अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियों प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से भरी जा सकती हैं :

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(ii) जिन्होंने ग्रेड पे 2800 रु. सहित पे बैंड-15200—20200 रु. अथवा समतुल्य पद पर नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो कालम (7) में सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

(केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले (वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया) की गई नियमित सेवा को वेतन आयोग की अनुशंसा पर आधारित लागू किए गए तदनुसंगी ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे अथवा वेतनमान बगैर किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है

भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष
2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य
3. अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —सदस्य

[फा. सं. ए-16011/2/2000-प्रशा.-2/प्रशा.-5]

पंकज कुमार देवरानी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General, India)
New Delhi, the 1st May, 2012

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Investigator (Language) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Investigator (Language) in the office of the Registrar General, India, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Investigator (Language) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Pay Band and Grade Pay or pay scale.**—The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Investigator (Language)	12* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, (Rs.9300—34800) and Grade Pay Rs.4200	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders

(6)

issued by the Central Government.

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

(7)

(8)

(9)

(i) Master's Degree in Linguistics from a recognised University;

Not applicable

Two years

(ii) Two years' experiences in Research work in Linguistics or Scrutiny and Compilation of Language Data of Census including investigation and preparation of reports on Languages or Dialects or Mother Tongues.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Casts and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

1514 GI/12-2

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

By direct recruitment

By direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with six years' regular service in posts in the Pay Band PB-1, Rs.5200—20200 with Grade Pay Rs. 2800 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note: for the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—

- 1. Registrar General India —Chairman
- 2. Additional Registrar General India or Joint Registrar General India —Member
- 3. Under Secretary Office of the Registrar General, India —Member

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No.A-16011/2/2000-Ad. II/Ad.-V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.